

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

द्रोपदी देवी एवं अन्य

2015 की विविध अपील सं. 300

10 जनवरी 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दावेदारों को उचित मुआवज़ा दिया?

हेडनोट्स

मोटर वाहन अधिनियम - धारा 168 - मुआवजे की गणना - भविष्य की संभावनाओं का जोड़ - मृत्यु के समय वास्तविक आय के सिद्धांत का पालन करना और गुणनफल के निर्धारण के उद्देश्य से भविष्य की संभावनाओं के संबंध में कोई राशि आय में नहीं जोड़ना अन्यायपूर्ण होगा - यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40% जोड़ना वारंट होना चाहिए जहां मृतक 40 वर्ष से कम आयु का था - 25% जहां मृतक 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच था और 10% जहां मृतक 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच था, को गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए - स्थापित आय का अर्थ है आय में से कर घटक घटाकर। (पैरा- 17, 19)

मोटर वाहन अधिनियम - धारा 168 - मुआवजे की गणना - व्यक्तिगत व्यय की कटौती - जहां मृतक विवाहित था, मृतक के व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय के प्रति कटौती, एक तिहाई (1/3) होनी चाहिए जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 से 3 है, एक-चौथाई (1/4th) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 6 है, और एक-पांचवां (1/5th) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या छह से अधिक है - कुंवारे लोगों के संबंध में, सामान्यतः 50% व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय के रूप में काटा जाता है - हालांकि, जहां कुंवारे व्यक्ति का परिवार बड़ा है और मृतक की आय पर निर्भर है, जैसा कि उस मामले में जहां उसकी विधवा मां और बड़ी संख्या में छोटी गैर-कमाने वाली बहनें या भाई हैं, उसके व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय को एक-तिहाई तक सीमित किया जा सकता है और परिवार में योगदान दो-तिहाई के रूप में लिया जाएगा। (पैरा-22)

मोटर वाहन अधिनियम - धारा 168 - मुआवजे की गणना - संघ की हानि और प्रेम एवं स्नेह

की हानि - तीन मान्यता प्राप्त पारंपरिक मर्दें जिनके अंतर्गत मुआवज़ा दिया जा सकता है, वे हैं संपत्ति की हानि, संघ की हानि और अंतिम संस्कार व्यय - संघ में पति-पत्नी का संघ, माता-पिता का संघ, और संतान का संघ भी शामिल है - प्रेम एवं स्नेह की हानि को संघ की हानि में शामिल किया गया है। (पैरा- 25)

न्याय दृष्टान्त

सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (2009)6 एससीसी 121; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (2017)16 एससीसी 680; रेशमा कुमारी बनाम मदन मोहन (2013) 9 एससीसी 65; मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम (2018) 18 एससीसी 130; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर @ सतविंदर कौर एवं अन्य, (2021) 11 एससीसी 780; रंजना प्रकाश एवं अन्य बनाम मंडल प्रबंधक एवं अन्य, (2011)14 एससीसी 639.....पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

मोटर वाहन अधिनियम; सिविल प्रक्रिया संहिता

मुख्य शब्दों की सूची

मोटर वाहन दावा मामला; मुआवजे की गणना; उचित मुआवजा; भविष्य की संभावनाओं का योग; व्यक्तिगत व्ययों की कटौती; संघ की हानि; प्रेम और स्नेह की हानि; पति-पत्नी संघ; माता-पिता संघ; संतान संघ; संपत्ति की हानि

प्रकरण से उत्पन्न

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सह अपर जिला न्यायाधीश प्रथम, मुंगेर द्वारा एम.वी. में दिनांक 12.06.2015/12.06.2015 को पारित निर्णय एवं पंचाट। दावा मामला संख्या 15, वर्ष 2010।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री राज कुमार सिंह विक्रम, अधिवक्ता

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 की विविध अपील सं. 300

=====

शाखा प्र. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (क्षेत्रीय कार्यालय नई छठी मंजिल, बी.एस.एफ.सी. बिल्डिंग फ्रेजर रोड, पटना1) के माध्यम से।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. द्रोपदी देवी, पति - गिरीश कुमार शर्मा उर्फ गिरीश शर्मा
2. गिरीश कुमार शर्मा उर्फ गिरीश शर्मा, पिता - स्वर्गीय सरयुग प्रसाद।

दोनों निवासी- मोहल्ला - पूरब सरल मुंगेर, थाना - कोतवाली, जिला - मुंगेर

.....याचिकाकर्ता/उत्तरदाता प्रथम समूह

3. मेसर्स लिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 25-ए, शेक्सपीयर, सरनी, कोलकाता जिला- कोलकाता, पिनकोड-700001 (प.बं.) (ट्रक जिसका रजि. सं. WB-03B-7394 है, के मालिक)

4. सुरेश मंडल, पिता - किशोर मंडल, निवासी - बारा बाजार, जी. टी. रोड, चंदन नगर, थाना और जिला-हुगली (प.बं.), वर्तमान पता - मोहल्ला - नियामपुर रोड, सिनेमैन हॉल के पीछे, पोस्ट + थाना नियामतपुर, जिला-बर्दवान (प. बं.) (ट्रक नं. WB-03B-7394 का चालक)

..... विपक्षी सं.1 और 2 प्रत्यर्थी दूसरा समूह

=====

उपस्थिति

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री राज कुमार सिंह विक्रम, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के : श्री

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक आदेश

तारीख:10-01-2023

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह विक्रम को सुना।

2. दावेदारों-प्रत्यर्थियों के लिए कोई भी उपस्थित नहीं होता है - इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने उपस्थिति दर्ज की है और प्रतिवादी सं. 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ताओं का नाम वाद सूची (कॉज लिस्ट) में मुद्रित हैं।

3. इस मामले में अपीलार्थी एक बीमा कंपनी है। इस अपील में मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम, मुंगेर (जिसे इसके बाद "विद्वान न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा 2010 के मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद सं.15 (2013 का कंप्यूटर केस न.653) में दिनांक 12.06.2015 को पारित निर्णय और आदेश 12.06.2015 को चुनौती दी गई है जिसके तहत और जिसमें प्रथम समूह के उत्तरदाताओं की दावा याचिका को अनुमति दी गई है तथा अपीलकर्ता को यह निर्देश दिया गया है कि वह तीस (30) दिनों के भीतर चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 21.02.2012 से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 7,89,500-रु.अदा करे।

मामले के संक्षिप्त तथ्य

4. इस मामले में दावेदार, मृतक रितु राज शर्मा के माता-पिता हैं। दावेदारों का मामला यह है कि उक्त रितु राज शर्मा 31.05.2009 को संजय शर्मा के साथ मोटरसाइकिल जिसका रजि. नं. BK-10H/0769 से हसडिहा को लौट रहे थे । WB-03B/7394 नंबर वाले एक ट्रक जिसे प्रत्यर्थी सं. 4 चला रहा था, ने कथित तौर पर जल्दबाजी और लापरवाही से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी थी जिसके कारण दोनों सवार गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके बाद भागलपुर जाते समय रितु राज शर्मा की रास्ते में ही मौत हो गई। संजय शर्मा के फर्द बयान के आधार पर 2009 का पोरैया हाट थाना कांड सं. 81 दर्ज किया गया।

5. मृतक की आयु लगभग 25 वर्ष थी और यह साक्ष्य में आया है कि मृतक सी. आई. एस. सी., कोलकाता नामक एक निजी कंपनी में कार्यरत था। उन्हें रु. 7,500/- का मासिक वेतन प्राप्त होता था। मृतक इंटरमीडिएट पास कर चुका था और उसकी मृत्यु के समय वह अविवाहित था।

6. अपने मामले को साबित करने के लिए दावेदार-प्रतिवादी प्रथम समूह ने क्रमशः आ.सा.-1 और आ.सा.-2 के रूप में स्वयं का परीक्षण कराया। उन्होंने राहुल देव शर्मा (आ.सा.-3) नाम के एक गवाह को भी प्रस्तुत किया। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किएः.

प्रदर्श '1' - मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की छायाप्रति ।

प्रदर्श '2' - 2010 के पोरैया हाट गोड्डा थाना कांड संख्या 13 की प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति।

प्रदर्श '3' - आरोप पत्र सं. 142/2019 की प्रमाणित प्रति।

प्रदर्श '4' - वाहन के ऑनर बुक की छायाप्रति।

प्रदर्श '5' - चालक के लाइसेंस की छायाप्रति ।

प्रदर्श '6' - ट्रक सं. WB-03B/7394 के बीमा पॉलिसी (मालिक द्वारा प्राप्त की गई) की छायाप्रति ।

प्रदर्श '7'- मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति ।

प्रदर्श '8' - वेतन पर्ची की छायाप्रति।

प्रदर्श '9' - अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

7. दावेदारों के मामले को बीमा कंपनी द्वारा लिखित बयान दाखिल करके चुनौती दी गई थी। बीमा कंपनी ने इस बात पर अन्य बातों के साथ प्रतिवाद किया कि वे मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि वाहन के चालक के पास वेतनभोगी चालक के रूप में वाहन चलाने के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था। यह भी दलील दी गई कि वाहन के मालिक के पास उस क्षेत्र में वाहन चलाने के लिए कोई वैध रूट परमिट नहीं था जहां कथित दुर्घटना हुई थी। और दुर्घटना के समय, चालक नशे में था, इसलिए, इन सभी कारणों से बीमा कंपनी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

8. बीमा कंपनी, हालांकि, कोई मौखिक सबूत नहीं लाई। बीमा कंपनी की ओर से, प्रदर्श 'ए' प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 12.08.2011 और 29.07.2011 का प्रतिवेदन कहा जाता है। दावेदारों द्वारा प्रस्तुत चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति बीमा कंपनी (प्र.प.) के कहने पर प्रदर्श '3' के रूप में प्रदर्शित की गई थी।

न्यायाधिकरण द्वारा बनाए गए मुद्दे

9. न्यायाधिकरण ने कुल पाँच मुद्दे तैयार किए जिन्हें यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“ प्रस्तुत वाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित वाद बिंदुओं का निर्धारण किया गया है :-

1- क्या दावाकर्तागण द्वारा यथारचित दावावाद संधार्य है ?

2- क्या दावाकर्तागण को वाद संस्थित करने हेतु कोई वाद हेतु कोई वाद हेतुक प्राप्त है ?

- 3- क्या मृतक ऋतुराज शर्मा का मृत्यु ट्रक संख्या WB-03B/7394 के चालक के तेजी व लापरवाही व असावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने के कारण हुई थी ?
- 4- क्या ट्रक संख्या WB-03B/7394 बीमा कंपनी द्वारा घटना के समय बीमित था ?
- 5- क्या दावाकर्तागण क्षतिपूर्ति की राशि पाने का अधिकारी है ? "

निष्कर्ष

10. विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की। आ.सा. -1, 2 और 3 के साक्ष्य ने साबित किया कि ट्रक चालक की जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई, जिसके परिणामस्वरूप दावेदारों के बेटे को चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।

11. इसलिए न्यायाधिकरण ने मुद्दा सं.1 और 2 का निर्णय दावेदारों के पक्ष में दिया। जहां तक मुद्दा संख्या 3 और 4 का संबंध है, विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना के समय अपीलार्थी द्वारा जारी पॉलिसी के तहत ट्रक का बीमा किया गया था। यह तथ्य अपीलार्थी की ओर से स्वीकार किया गया है। विद्वत न्यायाधिकरण ने आगे यह अभिनिर्धारित करने और यह घोषित करने के लिए कि दुर्घटना के समय पॉलिसी वैध थी, प्रदर्श '6' पर भरोसा किया, इसलिए, दावेदार जो मृतक के माता और पिता हैं, मुआवजे के हकदार हैं जबकि बीमा कंपनी उसी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

12. मृतक की वेतन पर्ची (प्रदर्श '8') का उल्लेख करते हुए, विद्वत न्यायाधिकरण ने कहा कि मृतक कोलकाता में एक निजी कंपनी में कार्यरत था और उसकी मृत्यु के समय, उसे रु. 7,500/- प्रति माह का वेतन प्राप्त होता था। प्रदर्श '8' विवादित नहीं थी, हालांकि, बीमा कंपनी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि मृतक की वेतन पर्ची से यह प्रतीत होता है कि उसका वेतन निर्धारित था। विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक एक शिक्षित व्यक्ति था, उनकी मृत्यु के समय वह निजी कंपनी में कुशल कार्य में लगा हुआ था और उसका वेतन रु. 7,500/- था, इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, (2009) 6 एस. सी. सी. 121 में प्रतिवेदित सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में, मुआवजे की गणना उक्त राशि को उसकी आय के रूप में लेते हुए की जाएगी, लेकिन गुणज /गुणक के आवेदन के संबंध में विद्वत न्यायाधिकरण मृतक के पिता की आयु पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा और यह पता लगाने पर कि उसकी आयु उसके बेटे की मृत्यु के समय 46 वर्ष थी, 13 का गुणक लागू किया। न्यायाधिकरण ने

दावेदारों को देय कुल दावे की गणना निम्नानुसार की:

"सारणी के अनुसार

मृतक का कुल आय	7500/ रुपये प्रतिमाह,
मृतक का कुल आमदनी 7500 / गुणक 12	90000/ रुपये प्रतिवर्ष,
1/3 भाग मृतक अपने उपर खर्च करता है-	30000/रुपये,
वास्तविक आमदनी-	60000/ रुपये,
सारणी के अनुसार 60000 गुणक 13	780000/ रुपये ,
दाह संस्कार के लिए-	2000/रुपये,
परिवार से बंधित रहने के लिए-	2500/ रुपये,
स्टेट लोस के लिए-	<u>5000/ रुपये,</u>
क्षतिपूर्ति की कुल राशि-	789500/ रुपये,

140 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अंतरिम

क्षतिपूर्ति राशि नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०

एवं ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि० द्वारा

दावाकर्ता को प्राप्त कराया गया रकम (-) 50,000 / रुपये

कुल देय दावा रकम- 739500 / रुपये,

(सात लाख उन्तालिस हजार पांच सौ)"

बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुतियाँ

13. इस मामले की सुनवाई कल हुई थी और इस अदालत ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह विक्रम को आगे की सुनवाई का मौका दिया है यद्यपि यह मामला आज "फैसले के लिए" शीर्षक के तहत सूचीबद्ध है। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.01.2023 के आदेश से, यह प्रतीत होता है कि "न्यायाधिकरण द्वारा 13 के गुणक का आदेश" से सम्बंधित दिए गए आवेदन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मृतक की आयु के संबंध में सही दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा जो अपनी दुर्घटना और मृत्यु के समय लगभग 25 वर्ष का था और इस मामले में 18 का गुणक लागू होगा।

14. मृतक की कुल आय से व्यक्तिगत खर्चों की कटौती के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने मृतक के वेतन राशि का केवल एक तिहाई हिस्सा कटौती की

है, जबकि यह मानते हुए कि मृतक अविवाहित था, **सरला वर्मा** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार न्यायाधिकरण को मृतक के व्यक्तिगत खर्च के रूप में वेतन राशि का 50 प्रतिशत कटौती के बाद कुल दावा राशि की गणना करने की आवश्यकता थी।

15. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण ने आक्षेपित आदेश में दर्ज किया है कि बीमा कंपनी को वसूली का अधिकार होगा, लेकिन विद्वान न्यायाधिकरण को निर्णय के परिचालन भाग में बीमा कंपनी को वसूली के अधिकार की अनुमति देनी चाहिए थी।

16. सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता से यह रुख अपनाने का आह्वान किया कि इस मामले में माननीय संविधान पीठ के (2017) 16 एस. सी. सी. 680 में प्रतिवेदित **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य**, मामले में फैसले के संदर्भ में क्यों नहीं भविष्य की संभावनाओं और अन्य स्वीकार्य दावों पर विचार करते हुए विवादित आदेश को संशोधित करना चाहिए, जिन पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया है। जवाब में, विद्वान अधिवक्ता ने मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, (2011) 14 एस. सी. सी. 639 में प्रतिवेदित **रंजना प्रकाश और अन्य बनाम मंडल प्रबंधक एवं एक अन्य**, के एक फैसले पर भरोसा यह प्रस्तुत करने के लिए किया है कि चूंकि दावेदार विवादित आदेश/पुरस्कार के खिलाफ अपील में नहीं आए हैं, यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दावेदारों को विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत राशि से अधिक का हकदार होना चाहिए था, तो यह न्यायालय अपील को खारिज कर सकता है लेकिन किसी भी वृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

विचार

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों को देखने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि इस मामले में मृतक की आयु लगभग 25 वर्ष थी और वह दुर्घटना के समय कार्यरत था। मृतक को 7500/- रुपये प्रति माह उनके वेतन के रूप में मिल रहे थे जो वेतन पर्ची (प्रदर्श '8') के माध्यम से विधिवत साबित किया गया है। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने मृतक की कुल आय की गणना के आधार के रूप में वेतन राशि को उचित रूप से ध्यान में रखा है, लेकिन स्पष्ट रूप से उक्त राशि में भविष्य की संभावना जोड़ने से चूक गया है। **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अनुच्छेद '57' में

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया है:

“..... अपनी उद्विग्न विचार को ध्यान में रखते हुए, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि जब हम मानकीकरण के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो स्व-नियोजित या एक निश्चित वेतन पर रहने वाले व्यक्ति पर उक्त सिद्धांत को लागू नहीं करने का वास्तव में कोई तर्क नहीं है। मृत्यु के समय वास्तविक आय के सिद्धांत का पालन करना और गुणा राशि के निर्धारण के उद्देश्य से आय में भविष्य की संभावनाओं के संबंध में कोई राशि नहीं जोड़ना अन्यायपूर्ण होगा। मुआवजे की गणना करते समय आय के निर्धारण में भविष्य की संभावनाओं को शामिल करना होगा ताकि विधि अधिनियम की धारा 168 के तहत अभिनिर्धारित न्यायसंगत मुआवजे के दायरे में आ जाए।”

इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इस मुद्दे का निपटारा किया कि :

“.....समय के साथ, बदलते समाज, मूल्य में वृद्धि, मूल्य सूचकांक में परिवर्तन, जीवन के एक विशेष स्वरूप का पालन करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण आदि जैसे संचयी कारकों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की संभावनाओं के लिए जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी वहाँ मृतक की स्थापित आय का 40 प्रतिशत, जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी वहाँ 25 प्रतिशत की वृद्धि उचित होगी, ।...”

18. मृतक जो 50 वर्ष से अधिक आयु का होगा, के संबंध में इस मुद्दे को और स्पष्ट करते हुए और जिसके मामले में सरला वर्मा (ऊपर), जिसे रेशमा कुमारी बनाम मदन मोहन में (2013) 9 एस. सी. सी. 65 में अनुमोदित किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी राशि को नहीं जोड़ना उचित समझा और प्रणय सेठी (ऊपर) मामले में निम्नलिखित शब्दों में निष्कर्ष निकाला:

“.....एक नियम के रूप में यह कहना कि 50 वर्षों के बाद कोई जोड़ नहीं होगा, एक अस्वीकार्य अवधारणा होगी। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि यदि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच है तो 15 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए और उसके बाद कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, स्व-नियोजित या निश्चित वेतन पर व्यक्ति के मामले में, 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। उपरोक्त मानदंड तय किए गए हैं ताकि न्यायाधिकरणों और अदालतों के दृष्टिकोण में एकरूपता हो सके।

19. इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार को अनुच्छेद 59.4 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है:

“59.4. यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था और जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी तो स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त अधिपत्र होना चाहिए। जहां मृतक का आयु 40 से 50 वर्ष के बीच था वहाँ 25 प्रतिशत और जहां मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी वहाँ 10 प्रतिशत का जोड़, गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए। स्थापित आय का अर्थ है

आय में से कर को घटाना।

20. प्रणय सेठी (उपरोक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, इस न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण को भविष्य की संभावना के कारण मृतक की स्थापित आय का 40 प्रतिशत जोड़ने की आवश्यकता थी।

21. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का संबंध है कि न्यायाधिकरण को मृतक की व्यक्तिगत आय के रूप में वेतन राशि का 50 प्रतिशत काटना चाहिए था, यह न्यायालय इस तरह के निवेदन से सहमत नहीं है।

22. जहाँ तक व्यक्तिगत खर्चों की कटौती का संबंध है, रेशमा कुमारी के मामले में सरला वर्मा (उपरोक्त) के अनुच्छेद 30, 31 और 32 को मंजूरी दी गई है। प्रणय सेठी के फैसले के अनुच्छेद 41 में रेशमा कुमारी के फैसले के अनुच्छेद 43.6 को मंजूरी दी गई है। अतः यह न्यायालय सरला वर्मा (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के अनुच्छेद 30 से 32 को निम्नानुसार उद्धृत करेगाः.

“30. हालांकि कुछ मामलों में व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए की जाने वाली कटौती की गणना त्रिलोक चंद्र में दर्शाई गई इकाइयों के आधार पर की जाती है, सामान्य प्रथा मानकीकृत कटौती को लागू करना है। इस न्यायालय के बाद के कई फैसलों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि जहां मृतक विवाहित था, वहां मृतक के व्यक्तिगत और जीवन यापन के खर्चों के लिए जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 से 3 हो कटौती एक तिहाई (1/3) होनी चाहिए, जहां आश्रित परिवार के सदस्य की संख्या 4 से 6 हैं एक चौथाई (1/4) होनी चाहिए, और जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या छह से अधिक है वहां एक-पंचमांश (1/5 वां) होना चाहिए।

31. जहाँ मृतक कुंवारा था और दावेदार माता-पिता हैं, वहाँ कटौती एक अलग सिद्धांत का पालन करती है। अविवाहितों के संबंध में, आम तौर पर, 50 प्रतिशत व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में काटा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि एक अविवाहित व्यक्ति खुद पर अधिक खर्च करेगा। अन्यथा, कम समय में उसकी शादी होने की भी संभावना है, इस स्थिति में माता-पिता और भाई-बहनों के योगदान में भारी कटौती होने की संभावना है। इसके अलावा, इसके विपरीत साक्ष्य के अधीन, पिता की अपनी आय होने की संभावना है और उसे आश्रित नहीं माना जाएगा और केवल मां को ही आश्रित माना जाएगा। इसके विपरीत साक्ष्य के अभाव में, भाइयों और बहनों को आश्रित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे या तो स्वतंत्र और कमाने वाले होंगे, या विवाहित होंगे, या पिता पर निर्भर होंगे।

32. इस प्रकार भले ही मृतक के माता-पिता और भाई-बहन बचे हों, केवल माँ को आश्रित माना जाएगा, और 50 प्रतिशत को कुंवारे के व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में और 50 प्रतिशत को परिवार में योगदान के रूप में माना जाएगा। हालांकि, जहां कुंवारे का परिवार बड़ा है और मृतक की

आय पर निर्भर है, जैसे कि ऐसे मामले में जहां उसकी विधवा मां और बड़ी संख्या में छोटी गैर-कमाई करने वाली बहनें या भाई हैं, उसका व्यक्तिगत और रहने का खर्च एक तिहाई तक सीमित हो सकता है और परिवार में योगदान दो तिहाई के रूप में लिया जाएगा।”

रेशमा कुमारी (ऊपर) का अनुच्छेद 43.6 इस प्रकार है -

“43.6. जहाँ तक व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए कटौती का संबंध है, यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायाधिकरण सामान्य रूप से सरला वर्मा में निर्णय के अनुच्छेद 30, 31 और 32 में निर्धारित मानकों का पालन करेंगे, बशर्ते कि उपरोक्त अनुच्छेद 41 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियाँ हों।”

23. प्रणय सेठी के मामले में अनुच्छेद 39 और 40 यह स्पष्ट करेगा कि जहां तक व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों की कटौती का संबंध है, ट्रिब्यूनल सामान्य रूप से **सरला वर्मा** (ऊपर) में फैसले के अनुच्छेद 30, 31 और 32 में निर्धारित मानकों का पालन करेंगे, बशर्ते अनुच्छेद 41 में की गई टिप्पणियों के अधीन हो। रेशमा निर्णय के अनुच्छेद 41 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के कारण कटौती का प्रतिशत परिवार में आश्रित सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भिन्न हो सकता है। वर्तमान मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि दावेदारों, जो माता-पिता हैं, के साक्ष्य कि वे मृतक की आय पर निर्भर थे, निर्विवाद हैं, इसलिए इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं होगा कि न्यायाधिकरण ने मृतक की आय के केवल एक तिहाई की कटौती की अनुमति देकर कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए, अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह प्रस्तुतिकरण विफल होने के लिए बाध्य है।

24. इस न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में आगे ध्यान दिया है कि विद्वत न्यायाधिकरण ने केवल रु 2000/-, रु 2500/- संतान संघ (फाइलियल कंसोर्टियम) के रूप में और रु 5,000/- संपत्ति के नुकसान के रूप में अनुमति दी है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार दावेदार प्रेम और स्नेह के नुकसान के कारण प्रत्येक के लिए रु. 50,000/-, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए रु 25,000/-, संपत्ति के नुकसान के लिए, रु. 15,000/- तथा संतान संघ (फाइलियल कंसोर्टियम) के लिए प्रत्येक 40,000/- की दर से दावे के हकदार थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2018) 18 एस. सी. सी. 130 में प्रतिवेदित **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम** के मामले में जो लगभग 24 वर्ष की आयु का एक स्नातक है और अपने वृद्ध पिता और अविवाहित बहन के साथ रह रहा था, निर्णय

दिया है कि वे प्रणय सेठी के अनुसार संतान संघ (फाइलियल कंसोर्टियम) के नुकसान, संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के हकदार होंगे। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए 1,00,000 रुपये का आदेश दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (ऊपर) के मामले में निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद तत्काल संदर्भ के लिए यहाँ उद्धृत किए गए हैं:

“19. बीमा कंपनी ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से रु. 1,00,000 प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए, और रु. 25, 000 अंतिम संस्कार के खर्च के लिए आदेश दिया है। प्रणय सेठी के मामले में इस अदालत के फैसले में मृत्यु के मामले में पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे के रूप में दी जाने वाली विभिन्न राशियों को निर्धारित किया गया है। फैसले के प्रासंगिक उद्धरण को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“52. ... इसलिए, हम सोचते हैं कि यह उचित राशि तय करने के लिए प्रतीत होता है। हमें ऐसा लगता है कि पारंपरिक शीर्षों पर उचित आंकड़े, अर्थात् संपत्ति का नुकसान, संतान संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च क्रमशः रु. 15, 000 रु. 40, 000 और रु. 15, 000 होना चाहिए। उक्त प्रमुखों पर पुनर्विचार करने का सिद्धांत एक स्वीकार्य सिद्धांत है लेकिन समीक्षा तथ्य-केंद्रित या मात्रा-केंद्रित नहीं होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि यह खेदजनक होगा कि हमने जो राशि निर्धारित की है, उसे हर तीन साल में प्रतिशत के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए और तीन साल की अवधि में वृद्धि 10 प्रतिशत की दर से होनी चाहिए।”

(जोर दिया गया)

उपरोक्त निर्णय के अनुसार, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा घटाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। हालाँकि, प्रेम और स्नेह की हानि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखा गया है।

20. एम. ए. सी. टी. के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने संतान संघ के नुकसान और संपत्ति के नुकसान के संबंध में कोई मुआवजा नहीं दिया है, जो अन्य पारंपरिक शीर्ष हैं जिनके तहत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मृत्यु की स्थिति में मुआवजा दिया जाता है। जैसा की *प्रणय सेठी [राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी]* (2017) 16 एस. सी. सी. 680: (2018) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 248: (2018) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 205] मामले में संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है। न्यायालय कर्तव्यबद्ध है और "न्यायसंगत मुआवजा" देने का हकदार है, इससे परे कि दावेदार द्वारा उस ओर से कोई याचिका दायर की गई हो। अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, और न्याय के हित में, हम प्रत्यर्थियों 1 और 2 को संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000 रुपये की राशि प्रदान करना उचित समझते हैं।

24. संतान संघ के रूप में दिए जाने वाले मुआवजे की राशि *प्रणय सेठी [राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड*

बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 एस. सी. सी. 680:(2018) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 248:(2018) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 205] में निर्धारित "संघ के नुकसान" के तहत मुआवजा देने के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होगी। वर्तमान मामले में, हम मृतक के पिता और बहन में प्रत्येक को संतान संघ के नुकसान के लिए 40,000 रुपये की राशि प्रदान करना उचित समझते हैं।

25. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, उत्तरदाता 1 और 2 निम्नलिखित राशियों के हकदार हैं:

शीर्ष	प्रमुख मुआवजा प्रदान किया गया
(i) आय	6000 रुपये
(ii) भविष्य की संभावनाएँ	2400 रुपये(यानी आय का 40 प्रतिशत)
(iii) व्यक्तिगत कटौती	2800 रुपये की यानी (6000 रुपये + 2400 रुपये) खर्च का 1/3 हिस्सा।
(iv) कुल आय	5600 रुपये यानी (6000 रुपये + 2400 रुपये) का 2/3
(v) गुणक	18
(vi) भविष्य की आय का नुकसान	रु. 12,09,600 (रु. 5600 × 12 ×18)
(vii) प्यार और स्नेह का नुकसान	1,00,000 (प्रत्येक 50,000 रुपये)
(viii) अंतिम संस्कार पर	15,000 रुपये का खर्च
(ix) संपत्ति का नुकसान	15,000 रुपये
(x) संतान संघ (फाइलियल कंसोर्टियम) का नुकसान	80,000 रुपये (उत्तरदाता 1 और 2 में से प्रत्येक को देय 40,000 रुपये)
कुल प्रदत्त मुआवजा राशि	दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुल मुआवजे के रूप में रु. 14,25,600/-

प्रदत्त राशि में से, ऊपर निर्दिष्ट ब्याज के साथ उत्तरदाता 1, 60 प्रतिशत का हकदार है जबकि उत्तरदाता 2 को 40 प्रतिशत दिया जाएगा।”

25. (2021) 11 एस. सी. सी. 780 में सूचित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर उर्फ सतविंदर कौर और अन्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय का अध्ययन किया और अनुच्छेद 34,35 और 36 में निम्नानुसार बताया:.

“34. इस स्तर पर, हम संघ के अनुदान और प्रेम और स्नेह के नुकसान के संबंध में एकरूपता प्रदान करना आवश्यक समझते हैं। कई न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय

संघ के नुकसान और प्यार और स्नेह के नुकसान दोनों के लिए मुआवजा दे रहे हैं। प्रणय सेठी में संविधान पीठ ने केवल तीन पारंपरिक शीर्षों को मान्यता दी है जिनके तहत मुआवजा दिया जा सकता है। संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च। मैग्मा जनरल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने पति-पत्नी संघ, माता-पिता संघ के साथ-साथ संतान संघ को शामिल करने के लिए संघ को एक व्यापक व्याख्या दी। प्रेम और स्नेह के नुकसान को संघ के नुकसान में समझा जाता है।

35. न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों को संघ के नुकसान के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, जो एक वैध पारंपरिक शीर्ष है। एक अलग शीर्ष के रूप में प्यार और स्नेह की हानि के लिए मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है।”

(ग) अंत्येष्टि का खर्च-रु. 15, 000 दिया जाएगा।

36. उपरोक्त पारंपरिक शीर्षों को हर तीन साल में 10 प्रतिशत की दर से संशोधित किया जाना है।”

26. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में जब यह न्यायालय उस दावे की गणना करता है जो दावेदारों के लिए स्वीकार्य होता, तो यह निम्नानुसार पाया जाता है:

क्र.सं.	क्र. सं. मृतक के वेतन के अनुसार आय	दावेदारों के खाते में देय राशि।
(i)	निश्चित वेतन के अनुसार	रु. 7, 500/- प्रति माह
	भविष्य की संभावना 40	रु. 3000/-
(ii)	प्रतिशत (i)	
	व्यक्तिगत खर्चों की कटौती	रु. 3500/-
(iii)	(i +ii) का एक तिहाई	
(iv)	कुल आय 2/3	रु. 7000/-
(v)	गुणक (आयु-25 वर्ष)	18
	भविष्य की आय का	रु. 7000 x 12 x 18 = 15,12,000
(vi)	नुकसान (iv) x 12 x गुणक)	-
(vii)	अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 15,000/-
(viii)	संपत्ति का नुकसान	रु. 15,000/-
	फिलियल कंसोर्टियम का	रु. 80,000/- (रु। 40, 000 x 2)

(ix)	नुकसान	
	कुल मुआवजा	रु. 16,22,000- तथा दावा दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज।

27. इस न्यायालय ने पाया कि विद्वत न्यायाधिकरण ने केवल 7,89,500 रुपये की राशि का आदेश दिया है, धारा 140 के तहत अंतरिम राहत 50,000/- रुपये जो दावेदारों को भुगतान किया गया था, की कटौती के बाद बीमा कंपनी को 7,39,500 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। न्यायाधिकरण ने आगे पाया कि दावा वर्ष 2010 से लंबित था परन्तु इसके लिए दावेदारों की ओर से कोई गलती नहीं होने के कारण वे मुद्दों के निपटारे की तारीख से ब्याज के हकदार होंगे यथा 21.02.2012 से और बीमा कंपनी 30 दिनों की अवधि के भीतर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। बीमा कंपनी ने इस अपील को 31.08.2015 को यह अपील दायर की है और यह इस न्यायालय में साढ़े छह साल से अधिक समय से लंबित है। इस अवधि के दौरान, आक्षेपित आदेश/पुरस्कार के संचालन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन बीमा कंपनी ने दावेदारों को देय राशि का भुगतान नहीं किया है।

28. इस स्तर पर यह न्यायालय (2011) 14 एस. सी. सी. 639 में सूचित रंजना प्रकाश और अन्य बनाम संभागीय प्रबंधक और एक अन्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान देगा।

उक्त मामले में दावेदार, पीड़ित की विधवा, दो बेटे और माँ थे जिनकी 03.11.2003 को एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह भारतीय स्टेट बैंक में बैंक प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे और उनका मासिक वेतन रु. 23, 134/- था। दावा न्यायाधिकरण ने 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 24,12,936/- रुपये के मुआवजे का आदेश दिया। लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण को आयकर के लिए वार्षिक आय का 30 प्रतिशत काटना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी के तर्क से सहमति व्यक्त की और मुआवजे में 30 प्रतिशत की कमी की और बीमा कंपनी को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 16,89,055/- रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। दावेदारों ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की, जिसके तहत यह तर्क दिया गया कि मृतक सांविधिक निकाय

के तहत स्थायी नौकरी सुनिश्चित वृद्धि और कैरियर की प्रगति के साथ कर रहा था और 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच था, इसलिए, सरला वर्मा (उपरोक्त) के अनुसार, आय में भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 30 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए थी। यह तर्क दिया गया था कि यदि भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी और यदि आयकर के लिए 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी, तो यह वस्तुतः न्यायाधिकरण द्वारा मूल्यांकन की गई आय को बाधित नहीं करेगा, इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे की गणना मासिक आय को रु. 23,134/- बिना किसी कटौती के मानना, किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं किया। मामले के तथ्यों की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने दावेदारों के तर्क को नजरअंदाज करने में त्रुटि की है। उक्त मामले में भी दावेदारों ने न्यायाधिकरण के फैसले को इस आधार पर चुनौती नहीं दी थी कि न्यायाधिकरण भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देने और मृतक की वार्षिक आय का 30 प्रतिशत जोड़ने में विफल रहा है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि " यह तथ्य कि दावेदारों ने स्वतंत्र रूप से आदेश को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए अन्य आधारों पर दिए गए मुआवजे का बचाव करने के रास्ते में नहीं आएगा। इसका मतलब केवल यह होगा कि मालिक/बीमाकर्ता की अपील में, दावेदार किसी भी प्रति-अपील या प्रति-आपत्तियों के अभाव में किसी भी नए आधार का आग्रह करके मुआवजे में वृद्धि की मांग करने के हकदार नहीं होंगे।"

29. रंजना प्रकाश (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद '7', '8' और '9' को तत्काल संदर्भ के लिए यहां उद्धृत किया गया हैः.

"7. यह सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33 से भी आता है जो एक अपीलीय न्यायालय को कोई भी आदेश पारित करने में सक्षम बनाता है जिसे निचली अदालत द्वारा पारित किया जाना चाहिए था और ऐसा आगे या अन्य आदेश देने के लिए सक्षम बनाता है जिसकी मामले में आवश्यकता हो, भले ही प्रतिवादी ने कोई अपील या प्रति-आपत्ति दायर नहीं की हो। यह शक्ति अपीलीय न्यायालय को सौंपी गई है ताकि वह पक्षों के बीच पूर्ण न्याय कर सके। तथापि संहिता के आदेश 41 नियम 33 को व्यवहार में लाया जा सकता है ताकि आदेश को अधिक प्रभावी बनाया जा सके या अन्य आधारों पर आदेश को बनाए रखा जा सके या अन्य पक्षों को लाभ या दायित्व को साझा करने के लिए मुकदमा दायर किया जा सके, लेकिन इसे वृहत्तर या उच्चतर राहत प्राप्त करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जहां दावेदार वाहन के मालिक और बीमाकर्ता के खिलाफ मुआवजे की मांग करते हैं और न्यायाधिकरण केवल मालिक के खिलाफ फैसला करता है,

तो मालिक द्वारा राशि को चुनौती देने वाली अपील पर, अपीलीय अदालत बीमाकर्ता को मालिक के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बना सकती है, भले ही दावेदारों ने बीमाकर्ता के खिलाफ राहत की गैर-मंजूरी को चुनौती नहीं दी थी। जैसा की हो सकता है।

8. जहां मुआवजे की मात्रा को चुनौती देने वाली अपील दायर की जाती है, चाहे कोई भी अपील दायर करे, उच्च न्यायालय के लिए उचित मार्ग तथ्यों की जांच करना और प्रासंगिक सिद्धांतों को लागू करके न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण करना है। यदि उसके द्वारा निर्धारित मुआवजा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे से अधिक है, तथा यदि यह दावेदारों द्वारा है तो उच्च न्यायालय, अपील की अनुमति देगा, और यदि यह मालिक/बीमाकर्ता द्वारा है तो अपील को खारिज कर देगा। इसी तरह, यदि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे से कम है, तो उच्च न्यायालय दावेदारों द्वारा वृद्धि के लिए की गई किसी भी अपील को खारिज कर देगा, लेकिन मालिक/बीमाकर्ता द्वारा कटौती के लिए कोई अपील को अनुमति देगा। उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से मुआवजे को कम करने के लिए मालिक/बीमाकर्ता की अपील में मुआवजे को नहीं बढ़ा सकता है, और न ही मुआवजे को बढ़ाने की मांग करने वाले दावेदारों की अपील में मुआवजे को कम कर सकता है।

9. *सरला वर्मा* [(2009) 6 एस. सी. सी. 121:(2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1002:(2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 770], में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां मृतक के पास आवधिक वृद्धि के प्रावधानों के साथ नियमित वेतन के साथ स्थायी नौकरी थी, यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी, तो वर्तमान आय का 30 प्रतिशत भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा जा सकता है। *सरला वर्मा* [(2009) 6 एस. सी. सी. 121:(2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1002:(2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 770], में इस न्यायालय ने यह भी कहा कि भुगतान किए गए आयकर को "आय" पर पहुंचने के लिए वार्षिक आय से काटा जाना चाहिए जो मुआवजे की गणना का आधार बनेगा। न्यायाधिकरण ने इन दोनों में से कोई भी काम नहीं किया। यदि दोनों किए जाते हैं, तो परिणाम यह होगा कि मुआवजे की गणना के लिए न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त आय में कोई बदलाव नहीं होगा। भविष्य की संभावनाओं के कारण 30 प्रतिशत की वृद्धि और आयकर के कारण 30 प्रतिशत की कटौती एक दूसरे को रद्द कर देगी, जिसके परिणामस्वरूप "आय" अपरिवर्तित रहेगी। नतीजतन, न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा भी अपरिवर्तित रहेगा।

30. **रंजना प्रकाश (उपर्युक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, भले ही इस न्यायालय ने पाया हो कि दावेदार अन्य स्वीकार्य दावों के लिए हकदार होते, लेकिन क्योंकि दावेदार-प्रतिवादी प्रथम सेट की ओर से कोई प्रति-अपील या प्रति-आपत्ति नहीं है, यह न्यायालय मुआवजा राशि बढ़ाने की स्थिति में नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि इस अपील में कथित आदेश/मुआवजा बीमा कंपनी की

ओर से अनुरोध किए गए किसी भी आधार पर किसी भी हस्तक्षेप की निश्चितता नहीं देता है।

31. इसलिए यह अपील विफल हो जाएगी। यह तदनुसार खारिज कर दिया जाता है, लेकिन यह पता चलने पर कि बीमा कंपनी ने इस न्यायालय से रोक का कोई आदेश दिए बिना अकेले अपील के लंबित होने के नाम पर साढ़े छह साल से अधिक समय से दावेदारों को देय राशि का भुगतान नहीं किया है, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि इस कल्याणकारी कानून का उद्देश्य ही बीमा कंपनी द्वारा विफल कर दिया गया है। मृतक के माता-पिता अब तक लगभग एक दशक से दावे के लिए लड़ रहे हैं। **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है। इस न्यायालय से रोक का कोई आदेश दिए बिना दावा राशि का भुगतान नहीं करके, इस न्यायालय की राय में, बीमा कंपनी कल्याणकारी कानून की भावना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करने के अपने कर्तव्य में विफल रही है, जिसमें न्यायसंगत मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता को दोहराया गया है।

32. इसलिए यह न्यायालय बीमा कंपनी (अपीलार्थी) द्वारा दावेदारों को न्यायाधिकरण के आदेश/निर्णय के अनुसार राशि के साथ देय 1,00,000-रुपये (एक लाख रुपये) की राशि अधिरोपित करता है।

33. इस आदेश की प्राप्ति/संचार की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा भुगतान किया जाए, जिसके भुगतान में विफल रहने पर इसका निष्पादन न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा यथासंभव शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाएगा।

34. अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा की गई सांविधिक राशि, यदि कोई हो, इस न्यायालय के व्यवहार/नियम के अनुसार उचित माध्यम से बीमा कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायामूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।